राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(14)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 22-06-22

::आदेश::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.06.21 के द्वारा राजकीय वादकरण नीति–2018 के अध्याय–6 के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर, अन्य अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों में लम्बित/विचाराधीन एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों की सुचारू रूप से मोनेटरिंग करने हेतु विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी को सम्पूर्ण विधि विभाग के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया था।

प्रशासनिक कारण से समसंख्यक आदेश दिनांक 22.06.21 के द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी के स्थान पर संयुक्त शासन सचिव, विधि रचना संगठन को उपरोक्त न्यायालयों/अधिकरणों में लम्बित/विचाराधीन एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों की सुचारू रूप से मोनेटरिंग करने हेतु विधि विभाग के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

ह०

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
4. संयुक्त शासन सचिव (वि.र.सं.)।
5. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. समस्त गवर्नमेंट कौंसिलगण/राजकीय अधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त पैनल लॉयर, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
11. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

22-6-2022

शासन सचिव, विधि